सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-208/2021/2024/22-2-2021-17(369)/2020
लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-26783) पुत्र श्री छेदीलाल, जो-ग्राम-बेहरिन, थाना-तिर्वा, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-20/2004 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-307/149, 302/149, 323/149, 147 के अधीन दिनांक 20.01.2005 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय, कक्ष सं0-1, कन्नौज द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.11.2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.02.2015 द्वारा यथावत रखा गया, की आयु लगभग 72 वर्ष होने, दिनांक 02.07.2021 तक 08 वर्ष 10 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 02 माह 14 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-208/2021/2024(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in